



राजस्थान आवासन मण्डल

द्वारा

शिवसिंहपुरा आवासीय योजना सीकर में MIG-A
निर्मित (G+3) फ्लैट्स की मुहरबन्द बिड एवं
आवासीय योजना चूरू में व्यावसायिक भू-खण्डों की
भव्य नीलामी

सूचना

क्र.सं.	योजना का नाम	मुहरबंद बिड प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	मुहरबंद बिड प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	संबंधित कार्यालय का नाम व पता, मुहरबंद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना व खोला जाना है।
1.	शिवसिंहपुरा सीकर	05.04.2017 से 04.05.2017 सांय 6.00 बजे तक	05.05.2017 दोपहर— 1.00 बजे	परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल उप खण्ड— सीकर फोन नं०— 01572—256845

क्र.सं.	निर्मित फ्लैट/आवास की विशिष्टियां				न्यूनतम बिड मूल्य	संलग्न की जाने वाली राशि (5 प्रतिशत)	अन्य विवरण
	फ्लैट नम्बर	सामान्य /कॉर्नर	सुपर बिल्टअप एरिया (व.मी.)	वसूली योग्य भूमि का क्षेत्रफल (व.मी.)			
1	14/D/02(G.F.)	सामान्य	74.30	42.914	2600000.00	130000.00	
2	14/D/12(2.F.)	सामान्य	74.30	22.959	2200000.00	110000.00	
3	14/B/13(3.F.)	सामान्य	74.30	14.977	2100000.00	105000.00	
4	14/E/07(3.F.)	सामान्य	74.30	14.977	2100000.00	105000.00	

क्र.सं.	योजना का नाम	मुहरबंद प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	मुहरबंद प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	संबंधित कार्यालय का नाम व पता, मुहरबंद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना व खोला जाना है।
1.	चूरू आवासीय योजना	18.04.2017 से 17.05.2017 सांय 6.00 बजे तक	18.05.2017 दोपहर— 1.00 बजे	परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ कार्यालय उप खण्ड— चुरू फोन नं०— 01562—253392

स्कीम का नाम	भूखण्ड/प्लॉट नं.	भूखण्ड का माप (मीटर)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम बिड मूल्य (प्र.व.मी.) राशि रूपये	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि रूपये	आरक्षित श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
चूरू	CSA-6/Ordinary	3.60X4.50	16.20	33753	27340	SC
चूरू	CSA-8/Corner	3.60X4.50	16.20	35450	28715	ST

नोट: बिडदाताओं द्वारा नीलामी में बिड प्रस्तुत करने हेतु लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बिड की शर्तों के विस्तृत विवरण उपखण्ड कार्यालय सीकर से दिनांक 05.04.2017 से मुहरबंद बिड प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 04.05.2017 एवं उपखण्ड कार्यालय चूरू से दिनांक 18.04.2017 से 17.05.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। अथवा आवासन मण्डल की वेबसाईट www.rbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्रः—

- आवासीय अभियन्ता, 2/3-4, राजस्थान आवासन मण्डल, पुरानी कॉलोनी चुरू रोड, झुझुनूं फोन नं: 01592—232319
- परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) कार्यालय उप खण्ड— चुरू फोन नं०— 01562—253392
- परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) कार्यालय उप खण्ड— सीकर फोन नं०— 01572—256845

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड—झुझुनूं

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

आवेदन का फोटो
स्वयं द्वारा
हस्ताक्षरित

1. बिडदाता का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :
(अनु.जाति/अनु.जनजाति के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
4. पता :
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
5. पेन नम्बर (पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
6. दूरभाष नं. मोबाईल नं.
7. अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :—

(अ) योजना का नाम सेक्टर
(ब) (G+3) फ्लैट्स संख्या माप
(स) वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या माप
के लिए न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रु.
की डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक
जारीकर्ता बैंक का नाम
संलग्न है।

बिडदाता के हस्ताक्षर

लिफाफे पर लिखे जाने वाला विवरण :-

1. भूखण्ड का विवरण :-

(अ) योजना का नाम सेक्टर

(ब) (G+3) फ्लैट्स संख्या

(स) वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या

2. बिड दाता का नाम :

3. श्रेणी—सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति :

4. संलग्न अमानत राशि रु :

डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक

जारीकर्ता बैंक का नाम :

5. मुहरबन्द बिड खोलने की निर्धारित तिथि :

बिडदाता के हस्ताक्षर

मुहरबंद प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :-

1. नीलामी में सम्पति क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव क्रय राशि दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में भरकर मुहरबंद लिफाफे में संबंधित कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस सम्पत्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना एवं प्रस्ताव प्रपत्र पर आवेदन कर्ता का पासपोर्ट साईंज फोटो लगाया जाना आवश्यक है।
2. क्रेता को सारणी में वर्णित अमानत राशि का ड्राफ्ट जो “राजस्थान आवासन मण्डल” के पक्ष में चुरू/सीकर स्थित बैंक शाखा में देय हो संलग्न करना होगा।

मुहरबंद नीलामी की शर्तें :-

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घन्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिड दाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बतायें, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/ निर्मित भवन “जहाँ है जैसा है” के आधार पर निरस्तारित किये जायेंगे।
9. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/ निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबंद बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिये भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत / 1042 / 379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
13. बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय—समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
14. नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा संबंधित कार्यालय/मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गयी है।
15. आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी।
16. खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
17. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।

उद्घोषणा

मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

बिडदाता आवासीय /वाणिज्यिक भूखण्ड /संस्थानिक भूखण्ड /निर्मित आवास /निर्मित दुकान/ निर्मित भवन संख्या
का नाम सेक्टर घोषणा करता/करते/हूँ/है कि
मैंने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी सम्बन्धी
नियमों/विनियमों/शर्तों एवं उनमें समय—समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली—भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि
जमा करवाने के परिणामस्वरूप मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि
नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस सम्बन्ध में मैं/हम कोई विवाद उत्पन्न
नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या

योजना का नाम सेक्टर के

लिए अपनी/हमारी बिड दर रूपये (अंकों में) (शब्दों में रूपये

.....) प्रति वर्गमी10/प्रति आवास/प्रति दुकान/प्रति भवन प्रस्तुत
करता/करती हूँ/करते हैं। (जो लागू ना हो उसे काट दे)

हस्ताक्षर बोलीदाता